अपीलीय अधिकरण
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 183/22 (सीआईएस 183/22)
अभिजीत यादव बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील सं. 183 / 2022

अभिजीत यादव बनाम जविप्रा व अन्य

दिनांक 04.06.2026

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री यश शर्मा उपस्थित। जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक सिंह शेखावत उपस्थित।

अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से निम्न अनुतोष चाहा गया।

"It is therefore most humbly and respectfully prayed that the present Appeal may kindly be allowed and the Impugned Notice dated 15.02.2022issued by the Respondents may kindly be quashed and set aside and the Respondent be directed to restore the position of the subject property as it was prior to the 15.02.2022.
Any other appropriate order or direction, which this Hon'ble Court may deem just and proper in the facts and circumstances of the case, may kindly be also passed in favour of the Appellant."

जविप्रा की ओर जवाब अपील हेतु निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया।

" उपायुक्त जोन–पीआरएन नोर्थ कार्यालय से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड संख्या 119 आनन्द नगर के दक्षिण दिशा में स्थित 40 फीट रोड़ पर 5 बाई 5 की गुमटी, जनरेटर एवं टीन शेड लगाकर 15 बाई 15 के क्षेत्रफल पर अतिक्रमण करने पर जविप्रा द्वारा धारा 72 का नोटिस दिनांक 15.02.2022 निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है।"

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी को दिनांक 15.02.2022 को निम्न प्रकार धारा 72 का नोटिस जारी किया गया।

"उपायुक्त जोन पीआरएन एन कार्यालय से प्राप्त अतिकमण रिपोर्ट के अनुसार आप द्वारा भू. सं. 119 आनंद नगर के दक्षिण दिशा में स्थित 40 रोड पर 5 बाई 5 की गुमटी जनरेटर एवं टीशेड लगाकर 15 बाई 15 अतिकमण करने पर दिनांक 07.02.2022 को करने दिनांक 11.2.2022 को सुओमाटो नोटिस जारी करने एवं दिनांक 12.02.2022 को उपरांत अतिकमण स्वयं के द्वारा हटा लेने की अण्डरटेकिंग देने के बाद भी आप द्वारा उक्त रोड सीमा का अतिकमण नहीं हटाया गया है। उक्त अवैध अतिकमण रोड सीमा पर होने के कारण अवैध है।"

पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति प्रकट हो रही है कि अपील प्रस्तुत होने से पूर्व ही जविप्रा द्वारा अवैध निर्माण हटाया जा चुका था। इस कारण हस्तगत अपील प्रभावहीन होना पाया जाता हैं यह अधिकरण निम्न प्रकार आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत समझता हैं।

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 183/22 (सीआईएस 183/22)

[illegible] बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत अपील प्रभावहीन हो जाने के कारण अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि जविप्रा अपीलार्थी के विरुद्ध भविष्य में किसी प्रकार की कार्यवाही करती है तो अपीलार्थी को कम से कम 7 दिवस पूर्व का नोटिस दिया जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।